

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/आरटीई/बी/साप्टवेयर अपडेशन/18891/16-17/22
23.8.16

दिनांक:-23/8/16

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा,
(समस्त जिलों).....

विषय :- प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल पर गैर-सरकारी विद्यालयों के ब्लॉक, ग्राम पंचायत/यूएलबी एवं ग्राम/वार्ड सही करने तथा बन्द विद्यालयों को लॉग-इन से हटाने के संबंध में।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गत वर्षों में राज्य में 45 नये ब्लॉक का सृजन किया गया है, जिसके कारण गैर-सरकारी विद्यालयों के ब्लॉक भी परिवर्तित हो गये हैं। प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल पर आरटीई के अन्तर्गत गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के प्रवेश, भौतिक सत्यापन की मॉनिटरिंग एवं फीस के पुनर्भरण का समस्त कार्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा लॉगिन से ब्लॉक के आधार पर ही किया जाता है। कुछ गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा अपनी स्कूल प्रोफाइल में अपने सही ब्लॉक प्रविष्ट कर दिये हैं लेकिन अभी भी कुछ विद्यालयों के ब्लॉक सही नहीं हुये हैं। आरटीई वेबपोर्टल पर गलत ब्लॉक दर्ज होने की स्थिति में गैर-सरकारी विद्यालयों के भौतिक सत्यापन एवं फीस के पुनर्भरण में समस्या उत्पन्न होती है।

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल पर अपने लॉगिन में “प्रबन्धन” टैब में “विद्यालयों का ब्लॉक, ग्राम पंचायत/यू.एल.बी., ग्राम/वार्ड परिवर्तन” विकल्प का चयन कर सभी गैर-सरकारी विद्यालयों के ब्लॉक, ग्राम पंचायत/यूएलबी एवं ग्राम/वार्ड को ठीक से जाँच लें, जो विद्यालय वर्तमान में उस ब्लॉक में नहीं हैं तथा ये विद्यालय नवीन ब्लॉक/अन्य ब्लॉक में चले गये हैं उनके सही ब्लॉक की प्रविष्ट करें। प्रविष्टि पूर्ण होते ही ये विद्यालय नवीन ब्लॉक, ग्राम पंचायत/यूएलबी एवं ग्राम/वार्ड में प्रदर्शित हो जायेंगे। इस कार्य को पूर्ण सावधानी से करें।

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा के लॉगिन में कुछ विद्यालय ऐसे प्रदर्शित हो रहे हैं जो गैर-सरकारी विद्यालय बन्द हो चुके हैं अथवा इन विद्यालयों में आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश नहीं दिये जा सकते हैं। इन विद्यालयों को अपने लॉगिन से हटाया जाना आवश्यक है जिससे सही विद्यालयों का ही भौतिक सत्यापन कराया जा सके।

इस कार्य हेतु ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि प्राइवेट स्कूल वेबपोर्टल पर अपने लॉगिन में “प्रबन्धन” टैब में “स्कूल की स्थिति (Close / Open)” विकल्प का चयन कर सभी गैर-सरकारी विद्यालयों की स्थिति जाँच लें तथा जो विद्यालय बन्द हो चुके हैं अथवा इन विद्यालयों में आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश नहीं दिये जाना है उन विद्यालयों के लिए Close विकल्प का चयन कर उन्हें अपने लॉगिन से हटा दें। इस कार्य में भी पूर्ण सावधानी बरतें।


जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश प्रसारित करें तथा जिला प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा अधिकारी पत्र में दिये गये निर्देशों की तत्काल पालना सुनिश्चित करें।


(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
IAS
निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, शिक्षा संकुल जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. उप शासन सचिव, शिक्षा (गुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. श्री विनोद जैन, प्रोजेक्ट प्रभारी आरटीई पोर्टल NIC खण्ड-6, प्रथम तल शिक्षा संकुल, जयपुर
6. सहायक निदेशक (आरटीई) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।


निदेशक

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर